



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239356
CG-DL-E-06102022-239356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4459]
No. 4459]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4667(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, सब डिविजनल आफिसर, बसमत (पोलीस स्थानक जवळ बसमत सिटी) (NH222) के कि.मी 514 से 518.6 महाराष्ट्र राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH222 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम					
1	2	3	4	5	6	7					
1	सब डिविजनल आफिसर, वसमत ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH222 के कि.मी. 514 से 518.6 तक	महाराष्ट्र	हिंगोली	<table><tr><td rowspan="2">वसमत</td><td>1</td><td>नसरतपूर</td></tr><tr><td>2</td><td>वसमत</td></tr></table>	वसमत	1	नसरतपूर	2	वसमत	
वसमत	1	नसरतपूर									
	2	वसमत									

[फा. सं. RW/NH/37015/2016/NIDP-IV]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd October, 2022

S.O. 4667(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 514 to 518.6 of Sub-Divisional Officer, basmat (Near Police Station basmat City) (NH222) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH222 in the State of MAHARASHTRA.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal		Name of the Village
1	2	3	4	5	6		7
1	Sub Divisional Officer, Basmat ()	514KM To 518.6KM	MAHARASHTRA	HINGOLI			
					Vasmat	1	Nasratpur
						2	Vasmat

[F. No. RW/NH/37015/2016/NIDP-IV]

RAJESH GUPTA, Director